न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 181/19 **निर्णय दिनांकः–21–01–2020**

1. मन्दोदेवी पत्नी लालचन्द जाति नाई निवासी चक 11 ईईए हाल चक 18 केएलडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 19–02–2002
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ मु. बीकानेरके आदेश दिनांक 19–02–2002 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील खाजुवाला में चक 18 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 35/17 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 35/18 की 17 बीघा 02 बिस्वा इस प्रकार कुल 42 बीघा 02 बिस्वा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को उक्त भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। कालान्तर में अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई है अतः आवंटन

खारिज किया जाता है। अपीलांट द्वारा उक्त खारिजी आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई जोकि दिनांक 24–01–2001 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वादग्रस्त भूमि अन्य को आवंटित नहीं होने पर निर्णय के एक माह में 35 प्रतिशत राशि जमा करवावे अन्यथा निर्णय यथावत रहेगा। उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस, सूचना अथवा 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने का चालान नहीं दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेशों की पालना नहीं करते हुए पुनः अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रार्थिया द्वारा निर्णय की पालना में आज दिनांक तक आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा बाबत चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः दिनांक 24–11–1999 द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जाकर दिनांक 30–09–1995 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। जबकि अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–02–2002 के विरूद्व अपील दिनांक 13–11–19 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

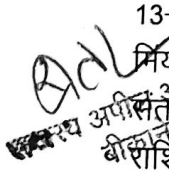

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—02—2002 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 13—11—2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए तहसील खाजुवाला में चक 18 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 35/17 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 35/18 की 17 बीघा 02 बिस्वा इस प्रकार कुल 42 बीघा 02 बिस्वा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। तत्पश्चात् आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई जाने के कारण निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश की अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट की अपील दिनांक 24—01—2001 को स्वीकार करते हुए 35 प्रतिशत राशि एक माह में जमा करवाने की स्थिति में आवंटन बहाल करने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेश की पालना में अपीलांट द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करवाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये चालान की प्रति अथवा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को जारी किसी भी प्रकार के नोटिस की प्रति संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा चालान

आवंटन अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। वादग्रस्त भूमि आज दिनांक को भी आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को राशि जमा करवाने का एक अवसर प्रदान किया जाना उचित पाते ह।

7. अतः उक्त नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–02–2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि अन्य को आवंटित नहीं होने पर अथवा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं की गई है एवं अपीलांट 35 प्रतिशत राशि मय ब्याज जमा करवाता है तो नियमानुसार अपीलांट पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21–01–2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.14 11:20:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: